संख्या : 728 /XXIV(7)/2017–22(6)09

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 **देहरादून : दिनांक 24 जनवरी, 2017**

विषयः–विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों की अस्थाई सम्बद्धता निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या मान्यता/सम्बद्धता/2016/1698 दिनांक 26.11.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय महाविद्यालयों/संस्थानों को अस्थायी सम्बद्धता निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव में कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के अस्थायी सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जो कि पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016–01(30)/2015 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 (**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।

2– अतः उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 में निर्धारित मानकों के आलोक में अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण करते हुये पुनः अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह),
संयुक्त सचिव।

संख्या : 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015

प्रेषक,

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **देहरादून : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2016**

विषय महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट दिशा–निर्देशों के अभाव के कारण प्रदेश में उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही सम्बद्धता सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त इन सभी शासनादेशों को अतिक्रमित कर संकलित रुप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2009 में जारी किये गये विनियमों तथा प्रथम संशोधन विनियम 2012 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) में व्यक्त अपेक्षाओं के अनुरुप महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रदेश के महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में संचालित होने वाले विषयों की सम्बद्धता के लिए निम्नलिखित मानक व प्रक्रिया निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड

अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सांविधिक/विनियामक निकाय (सूची संलग्न) द्वारा अद्यावधि विहित अपेक्षाओं एवं मानकों (जिसका सुस्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न–2 में निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र में किया जायेगा) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। सांविधिक/विनियामक निकाय का आशय एक ऐसे निकाय से है, जिसे केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम के अर्न्तगत उच्च, तकनीकी, चिकित्सा, विधि, कृषि एवं आयुष शिक्षा के संचालन व नियंत्रण हेतु गठित किया गया हो। यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में मानक/प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है तो उस पाठ्यक्रम के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा निम्नलिखित मानकों व प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में मानकों के पूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पाठ्यक्रम की अवधि (जो भी कम हो) के लिए सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(i) **भूमि** : अविवादित स्वामित्व एवं किसी भी ऋण भार से मुक्त भूमि, यदि यह नगर निगम क्षेत्र में स्थित है, तो न्यूनतम 2 एकड़ भूमि, अन्य क्षेत्र में न्यूनतम 5 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि। यह भूमि, राजस्व भू–अभिलेखों में प्रस्तावक संस्था/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के स्वामित्व में दर्ज होने के साथ–साथ एक ही स्थान पर होनी आवश्यक है। यह नियम उन महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा जो इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व राज्य के किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों।

(ii) **भवन** : महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के पास शैक्षणिक, प्रशासनिक व अन्य कार्यों के लिए निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमें सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरुप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। संकायों, व्याख्यान कक्षों, सम्मेलन कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि की निम्नानुसार व्यवस्था की जायेगी :–

(अ) कक्षों का न्यूनतम आकार :

क्र. सं.	कक्ष का विवरण	कक्ष का क्षेत्रफल
	(i) शैक्षणिक ब्लाक :	
1	व्याख्यान कक्ष	900 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)
2	प्रायोगिक विषय हेतु प्रयोगशाला कक्ष	1000 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)
3	प्रायोगिक विषय हेतु भण्डार कक्ष	200 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)
4	पुस्तकालय (एक)	4000 वर्ग फुट
5	विभाग में असिसटेंट प्रोफेसर के न्यूनतम 5 पद सृजित होने की दशा में विभागीय कक्ष (5 से अधिक पद होने की दशा में तदनुसार कक्षों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि करनी होगी)	500 वर्ग फुट (प्रत्येक विभाग का कक्ष)
6	विभागाध्यक्ष कक्ष/स्टाफ कक्ष	400 वर्ग फुट (प्रत्येक विभाग का कक्ष)
	(ii) प्रशासनिक ब्लाक :	
7	प्राचार्य कक्ष (एक)	500 वर्ग फुट
8	कार्यालय कक्ष (एक)	500 वर्ग फुट
9	अभिलेखागार कक्ष (एक)	200 वर्ग फुट
10	भण्डार कक्ष (एक)	200 वर्ग फुट
11	परीक्षा कक्ष (एक)	600 वर्ग फुट
12	आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC)	500 वर्ग फुट
13	प्रत्येक शिक्षणेत्तर गतिविधि के लिए कक्ष	300 वर्ग फुट (प्रत्येक कक्ष)